संख्या-4/2018/64/तीस-2-2018-07(एम)/2018

प्रेषक,

जिन्नूरैन अहमद खॉ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 29 जून, 2018**

विषय- वर्ष 2016 के पूर्व के परिवहन निगम से सेवानिवृत्त राजकीय सुविधा प्राप्त पेंशनर्स/निगम पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-19शा0/पे0से0/17-6979पे0से0/17 दिनांक 11.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 23.12.2016, शासनादेश दिनांक 18.07.2017 एवं शासनादेश दिनांक 04.09.2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के परिवहन निगम से सेवानिवृत्त राजकीय सुविधा प्राप्त पेंशनरों एवं निगम पेंशनरों के दिनांक 01.01.2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित किये जाने का आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम से सेवानिवृत्त जिन कार्मिकों को राजकीय पेंशनरों की भॉति पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जिनकी पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विभिन्न वेतन आयोगो में राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार आदेश निर्गत किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में दिनांक 01-01-2016 से राजकीय पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार आदेश निर्गत करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पेंशन पुनरीक्षण के उपरान्त आने वाला समस्त व्ययभार परिवहन निगम द्वारा स्वयं अपने निजी स्रोतों से वहन किया जायेगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नही की जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-353/x-18 दिनांक 27 जून 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
ह0
(जिन्नूरैन अहमद खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-4/2018/64(1)/तीस-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
2- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 शासन ।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।